

प्रपत्र-12
(देखें नियम-11 उप नियम-(1))
प्रारूप खानापूरी अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र

राजस्व ग्राम.....थाना संख्या..... पुलिस थाना.....
 अंचल.....जिला.....
 राजस्व ग्राम..... राजस्व थाना संख्या..... के सभी भू-स्वामियों / धारियों अथवा किसी भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम..... राजस्व थाना संख्या..... की भूमि से सम्बन्धित अधिकार-अभिलेख प्रारूप को एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

खतियान का क्रम संख्या	खाता संख्या	रैयत का नाम (एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित हिस्से के मामले में हिस्सा के अनुसार रैयत का नाम), पिता/पति का नाम, जाति एवं निवास	खेसरा नं०	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण	फसल के अधीन खेती योग्य भूमि				खेती हेतु अयोग्य भूमि	सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति (दखल/दखल के प्रकार सहित)
							भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अधिकार-अभिलेख प्रारूप (दिनांक)..... तक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी भूमि अथवा उस भूमि जिसमें आपका कोई अस्तित्वयुक्त हित है, के संबंध में अधिकार-अभिलेख प्रारूप का परिशीलन किया जाय।

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर